(लोक सभा द्वारा 10 अगस्त, 2016 को पारित रूप में)

2016 का विधेयक संख्यांक 215-सी

[दि टैक्सेशन लॉज (अमेंडमेंट) बिल, 2016 का हिन्दी अनुवाद]

कराधान विधि (संशोधन) विधेयक, 2016

आय-कर अधिनियम, 1961 और सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975
का और संशोधन
करने के लिए
विधेयक

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :--

अध्याय 1

प्रारंभिक

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम कराधान विधि (संशोधन) अधिनियम, 2016 है ।

(2) यह, इस अधिनियम में यथा अन्यथा उपबंधित के सिवाय, तुरंत प्रवृत्त होगा ।

अध्याय 2

प्रत्यक्ष कर

आय-कर

धारा 2 का संशोधन ।

1961 का 43

2. आय-कर अधिनियम, 1961 (जिसे इस अध्याय में इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 के खंड (19कक) में, स्पष्टीकरण 4 के पश्चात्, 1 अप्रैल, 2017 से निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"**स्पष्टीकरण 5**–इस खंड के प्रयोजनों के लिए, किसी ऐसी कंपनी की, जो केंद्रीय सरकार द्वारा उसके शेयरों का पृथक् कंपनियों में अंतरण के परिणामस्वरूप पब्लिक सेक्टर कंपनी नहीं रही है, पुनर्संरचना या विभाजन को निर्विलयन समझा जाएगा, यदि ऐसी पुनर्संरचना या विभाजन शेयरों के उक्त अंतरण से संलग्न किसी शर्त को प्रभावी करने के लिए किया गया है और वह ऐसी अन्य शर्तों को भी पूरा करता है जो केंद्रीय सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचित की जाएं ।"।

धारा 80जजकक का संशोधन ।

3. मूल अधिनियम की धारा 80जजकक की उपधारा (2) के स्पष्टीकरण में, खंड (ii) के पश्चात्, 1 अप्रैल, 2017 से निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

'परंतु ऐसे किसी निर्धारिती की दशा में, जो परिधान विनिर्माण के कारबार में लगा हुआ है, उपखंड (ग) के उपबंधों का वही प्रभाव होगा मानो "दो सौ चालीस दिन" शब्दों के स्थान पर, "एक सौ पचास दिन" शब्द रखे गए हों ।'।

अध्याय 3

अप्रत्यक्ष कर

सीमाशुल्क टैरिफ

पहली अनुसूची का संशोधन ।

1975 का 51

4. सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की पहली अनुसूची में,--

(क) अध्याय 25 में, टैरिफ मद 2515 11 00, टैरिफ मद 2515 12 10, टैरिफ मद 2515 12 20, टैरिफ मद 2515 12 90, टैरिफ मद 2516 11 00 और टैरिफ मद 2516 12 00 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में, "10%" प्रविष्टि के स्थान पर, क्रमश: "40%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ख) अध्याय 68 में, टैरिफ मद 6802 10 00, टैरिफ मद 6802 21 10, टैरिफ मद 6802 21 20, टैरिफ मद 6802 21 90, टैरिफ मद 6802 23 10, टैरिफ मद 6802 23 90, टैरिफ मद 6802 29 00, टैरिफ मद 6802 91 00, टैरिफ मद 6802 92 00 और टैरिफ मद 6802 93 00 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में, "10%" प्रविष्टि के स्थान पर, क्रमश: "40%" प्रविष्टि रखी जाएगी ।

GMGIPMRND—2396LS(CRC)—10-8-2016.